बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 226262 पटना, दिनांक 31/03/15

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(अ0का0यो0)-102-04/2015

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त,
सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
सभी ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक,
सभी ग्रामीण आवास सहायक ।

विषय :- वर्ष 2015-16 के लिए इंदिरा आवास योजनान्तर्गत लक्ष्य के अनुरूप आवास सॉफ्ट पर रजिस्टर किये गये लाभुकों के घर में सांकेतिक पेन्ट करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में इंदिरा आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु अग्रिम कार्य योजना से संबंधित दिशा-निर्देश विभागीय पत्रांक-218114 दिनांक-28.01.15 द्वारा दिये गये थे । उक्त दिशा-निर्देश की कंडिका-1 में लक्ष्य के निर्धारण के क्रम में यह भी निदेश दिया गया था कि 2014-15 के लिए निर्धारित भौतिक लक्ष्य में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर वर्ष 2015-16 के लिए प्रखण्डवार एवं पंचायतवार लक्ष्य का निर्धारण करते हुए लाभुकों को आवास सॉफ्ट पर रजिस्टर किया जाय । इस कार्य को दिनांक 28.02.2015 तक पुरा किया जाना था किन्तु खेद के साथ कहना है कि अबतक मात्र एक तिहाई लाभुक को ही रजिस्टर किया जा सका है । मात्र अररिया जिला द्वारा यह कार्य पूर्ण किया जा सका है । यद्दपि योजनान्तर्गत लाभुकों को सहायता राशि का भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा वास्तविक रूप से संसूचित लक्ष्य के आलोक में ही किया जाना है । भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप से भौतिक लक्ष्य एवं राशि प्राप्त होने पर इसकी सूचना दी जायेगी ।

इंदिरा आवास योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता के लिए स्थायी प्रतीक्षा सूची के अवरोही क्रम में लाभुकों का चयन करने के बाद आवास की स्वीकृति आदि की प्रक्रिया अपनायी जाती है । यद्दपि योजना के कार्यान्वयन में लाभुकों के चयन, स्वीकृति एवं भुगतान की प्रक्रिया में बिचौलियों की कोई भुमिका नहीं है और इसमें सख्ती बरतने की हिदायत दी जाती रही है, फिर भी विभाग के संज्ञान में यह बात जानकारी में आती है कि लक्ष्य के विरूद्ध चयनित लाभुकों से बिचौलयों द्वारा इंदिरा आवास दिलाने के नाम पर ठगी की जाती है, जो चिंता का विषय है । अतएव यह आवश्यक है कि अग्रिम कार्य योजना के तहत जिन लाभुकों का आवास सॉफ्ट पर रजिस्टर किया जाता है उन्हें तथा आम नागरिकों की जानकारी के लिए लाभुकों के घर पर एक सांकेतिक पेन्ट करा दी जाय ताकि लाभुक ठगी का शिकार होने से बच सकें ।

अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए भौतिक लक्ष्य के अनुरूप चयनित एवं आवास सॉफ्ट पर रजिस्टर किये गये लाभुकों के घर (दरवाजे) पर निम्न प्रकार का सांकेतिक पेन्ट करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय ।

वर्ष 2015-16 के लिए सूचीबद्ध
लाभुक का नाम :-
बी.पी.एल. संख्या:-
स्थायी प्रतीक्षा सूची का क्रम संख्या :-

विश्वासभाजन

31.3.15

(प्रदीप कुमार)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 226262 पटना, दिनांक 31/03/15

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि- आई0टी0मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

31.3.15

सरकार के सचिव